

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2219/2026

Aryan S/o Jagmohan, Aged About 25 Years, R/o Baniya Mohalla,
Near Bus Stand Malarna Dungar Ps Malarna Dungar At Present
Ganesh Nagar B, Sawai Madhopur, Ps Man Town, District Sawai
Madhopur (Presently Lodged In Gangapur City Jail)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Naman Yadav Mr. Dwarika Prasad Gupta
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

24/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना उदई मोड़, जिला-सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी के खाते में 1,66,500 रुपये जमा होने का आक्षेप प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में सहअभियुक्त अमनदीप ने उसके बैंक खातों का दुरुपयोग किया है। अन्वेषण के दौरान खातों की चेक बुक, आदि भी अमनदीप के पास ही प्राप्त हुई है। उनका तर्क है कि वास्तविकता में फरवरी, 2023 में उसके दादा ने उसे 2,50,000 रुपये एफडी दी थी, जो उसने अपने खाते में प्राप्त कर अमनदीप को उधार दिये थे। उक्त राशि वापिस मांगने पर अमनदीप ने उसका बैंक खाता और संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये थे और उसकी

जानकारी के बिना अमनदीप द्वारा खाते का दुरुपयोग किया गया है। प्रार्थी का कोई दुराशय (mens rea) आपराधिक कृत्य का नहीं रहा है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 25.01.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थी 24 वर्ष का युवक है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी-अभियुक्त ने अपना बैंक खाता अमनदीप को साईबर ठगी करने के लिए उपलब्ध करवाया था और उसके लिए उससे कमीशन भी प्राप्त किया था। प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्त अमनदीप को साईबर ठगी कारित करने के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाया है तथा कमीशन प्राप्त किया है। **प्रकरण में अभी आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है तथा अन्वेषण जारी है।** ऐसी स्थिति में उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J